राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 356/2024
हेमेन्द्र सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग,

राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.02.2002
उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रिय वन अधिकारी—द्वितीय के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज रामगढ, उपवन संरक्षक, रामगढ, विषधारी बाग परियोजना, बूंदी से विस्थापन, कार्यालय उपवन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक—प्रथम, रणथम्भौर, बाग परियोजना, सवाईमाधोपुर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का पूर्व में आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरण रेंज रामगढ, उपवन संरक्षक, रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बूंदी से रेंज केलवाडा, उप वन संरक्षक, बारां किया गया, परन्तु बाद में अपीलार्थी का स्थानान्तरण सवाईमाधोपुर कर दिया गया, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.09.2023 के द्वारा उप वन संरक्षक, परियोजना टोंक से क्षेत्रिय वन अधिकारी, रामगढ कार्यालय, उप वन संरक्षक, रामगढ विषधारी, बूंदी स्थानान्तरित किया गया था, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 29.09.2023 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी का वर्तमान स्थानान्तरण अल्पावधि में ही कर दिया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्मिक का स्थानान्तरण किया जा सकता है। नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह तय कर सकेगा कि किस कर्मचारी की सेवाए किस स्थान पर लेनी है। यह नहीं माना जा सकता कि वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्पावधि में किया गया है।

5. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)